



147583 - विशेष अवसरों पर मोबाइल संदेशों का हुक्म

प्रश्न

क्या धार्मिक त्योहारों पर मोबाइल फोन पर भेजे जाने वाले संदेशों में कोई बिद्अत या पाप शामिल है? अर्थात अगर मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जन्मदिन समारोह के अवसर पर एक संदेश भेजना चाहता हूँ, तो क्या इसमें कोई रुकावट और आपत्ति है?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

ऐसे संदेश जो लोग आमतौर पर विशेष अवसरों पर भेजते हैं, वे दो प्रकार के होते हैं :

प्रथम: एक प्रकार उन संदेशों का है जो ईदों और धर्मसंगत इस्लामी अवसरों पर उनकी बधाई देने के लिए भेजे जाते हैं, या उनके भेजने के समय से संबंधित किसी विशेष इबादत को याद दिलाने के लिए भेजे जाते हैं, जैसे कि वे संदेश जो रमज़ान में क्रियाम करने, या उसमें कुरआन का पाठ करने की याद दिलाने, या कुछ प्रतिष्ठित दिनों के रोज़ों, या इसी तरह की अन्य चीज़ों की याद दिलाने के लिए भेजे जाते हैं; तो इस प्रकार के संदेश में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि संदेश का विषय-सामग्री ठीक हो और शरीअत के उल्लंघन पर आधारित न हो।

द्वितीय प्रकार : वे संदेश जो विधार्मिक त्योहारों और ऐसे अवसरों पर भेजे जाते हैं जो धर्मसंगत नहीं हैं, जैसे कि वे संदेश जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जन्मदिन की, या इस्रा व मेराज की रात, या वैलेंटाइन्स दिवस, या वसंत उत्सव, या नए ईसवी वर्ष, इत्यादि की बधाई देने के लिए भेजे जाते हैं; तो इस तरह के संदेश की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह या तो एक नवीन धार्मिक त्योहार की या काफिरों के त्योहारों में से किसी त्योहार की बधाई देना है जिसमें मुसलमानों ने उनका अनुकरण किया है, और ये दोनों ही एक वर्जित और निषिद्ध कार्य हैं, जिसकी बधाई देना या उसका प्रसार और चर्चा करने में सहयोग करना जायज़ नहीं है।

इमाम मुस्लिम (हदीस संख्या: 4831) ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "जिसने किसी मार्गदर्शन की ओर लोगों को आमंत्रित किया तो उसे उसका पालने करनेवालों के समान अज़्र व सवाब (पुण्य) मिलेगा, इससे उनके अज़्र व सवाब में कुछ भी कमी नहीं होगी। और जिसने किसी पथभ्रष्टता की ओर आमंत्रित किया तो उसके ऊपर उसका पालन करनेवाले के समान पाप होगा, इससे उनके



पापों में कुछ भी कमी नहीं होगी।"

अल्लामा नववी रहिमहुल्लाह कहते हैं :

जो व्यक्ति लोगों को किसी मार्गदर्शन की ओर बुलाता है, तो उसे उसके अनुयायियों के अज़्र व सवाब के समान अज़्र व सवाब मिलेगा, या पथभ्रष्टता की ओर बुलाता है तो उसके ऊपर उसका पालन करनेवालों के पापों की तरह पाप होगा। चाहे वह मार्गदर्शन या पथभ्रष्टता स्वयं उसी ने आरंभ किया हो या उससे पहले किसी ने किया हो, तथा चाहे वह ज्ञान सिखाना हो, या कोई इबादत, या शिष्टाचार हो या इसके अलावा कोई अन्य चीज़ हो।" उद्धरण समाप्त हुआ।

"शर्ह अन-नववी अला मुस्लिम (16/227)"

विधर्मिक त्योहारों को मनाने के हुक्म का उल्लेख प्रश्न संख्या: (10070) के जवाब में किया जा चुका है। तथा प्रश्न संख्या: (70317) और प्रश्न संख्या: (125690) के उत्तर भी देखें।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।